न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजेरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 135/2022/अपील/आर्म्स एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांक 4.7.2022
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट

उनवान

ललित सिंह पुत्र स्व0 लालसिंह जाति राजपूत निवासी–ग्राम रतनपुरा थाना सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड।

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दिनेश सिंह चौहान अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 3.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 19/20 प्रार्थना पत्र आर्म्स एक्ट बउनवान राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड बनाम ललित सिंह मे पारित निर्णय दिनांक 26.8.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा पिता स्व0 लालसिंह के नाम जारी ला0 1183/85 मे दर्ज 12 बोर बन्दूक सं0 7038 को उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर फौती लाईसेन्स चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे लाईसेन्स दिये जाने का उचित आधार नही होने से आदेश कमांक न्याय/15/आर्म्स/2860–63 दिनांक 1.4.2015 से निरस्त किया गया जिसकी अपील 45/2015 न्यायालय हाजा मे पेश की गई जो निर्णय दिनांक 4.1.2016 से आशिंक स्वीकार पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। न्यायालय हाजा के रिमांड निर्देशो की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं0 35/16 दर्ज कर निर्णय दिनांक 17.1.2018 से पूर्व निर्णय को यथावत रखा जिसकी अपील सं0 44/18 न्यायालय मे पेश होने पर अपील मे दिनांक 18.11.2019 को पारित निर्णय अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.1.2018 को अपास्त कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सद्भाविक आवश्यकता एवं गुणावगुण पर विचार कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः तथ्यात्मक स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। जिसकी परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व पारित आदेश कमांक/न्याय/15/आर्म्स/2860–63 दिनांक 1.4.2015 को यथावत रखे जाने का दिनांक 26.8.2020 को निर्णय पारित है। जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 झालावाड के उपर्युक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट के विरूद्ध ऐसा कोई फौजदारी केस दर्ज नही हुआ जो उसके आपराधिक चरित्र या आदतन अपराधी होने की पुष्टि करता हो, इसके बावजूद भी अपीलांट के पक्ष मे स्पीकिंग आर्डर आधार सहित पारित नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। अपीलांट अनुज्ञप्ति धारी स्व0 लालसिंह का वारिस है एंव कृषक है। शस्त्र संचालन व रख रखाव हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। अपीलांट को कृषि कार्य हेतु जंगली जानवरों से रक्षार्थ एंव आत्मसुरक्षा हेतु उक्त शस्त्र की आवश्यकता है। आर्म्स एक्ट के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन तथा लाईसेन्स के दुरूपयोग का कोई आरोप नही है। ऐसी स्थिति मे अति0 जिला मजि0 झालावाड ने आदेश दिनांक 26.8.2020 के जरिये अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने मे विधिक भूल की है। अतः अति0 जिला मजि0 झालावाड का आदेश निरस्त कर अपीलांट के पक्ष मे उक्त 12 बोर बन्दूक का फोती लाईसेन्स जारी करने हेतु आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभि0 अपीलांट एंव पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट ने उत्ताधिकार की अवधारणा के आधार पर फौती लाइसेन्स चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करने मे त्रुटि की है क्योंकि अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक चरित्र या आदतन अपराधी होने संबधी कोई प्रकरण दर्ज नही हुये है। आर्म्स एक्ट के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन तथा लाईसेन्स के दुरूपयोग का कोई आरोप नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अलोच्य आदेश आधार सहित स्पीकिंग आदेश पारित नही किया है। अपीलांट एक कृषक है तथा जगंली जानवारों से रक्षार्थ, आत्मरक्षार्थ शस्त्र की आवश्यकता रहती है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने प्रार्थना एंव शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार कर पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर स्व0 पिता लालसिंह के नाम लाईसेन्स सं0 1183/85 मे दर्ज 12 बोर बन्दूक सं0 7038 का फौती लाईसेन्स चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.8.2020 के जरिये अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक चरित्र या आदतन अपराधी होने संबधी कोई प्रकरण नही है। आर्म्स एक्ट के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन तथा लाईसेन्स के दुरूपयोग का कोई आरोप नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश, आधार सहित, स्पीकिंग आदेश पारित नही किया है। अपीलांट एक कृषक है तथा जगंली जानवरों से रक्षार्थ, आत्मरक्षार्थ शस्त्र की आवश्यकता रहती है ऐसी स्थिति मे उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर फौती लाईसेन्स चाहने बावत प्रस्तुत आवेदन पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय दिनांक 26.8.2020 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य जेरअपील निर्णय गुणावगुण के आधार पर विचार किये बिना स्वयं के विवेकानुसार कार्य करने की सक्षमता का अभिमत प्रकट करते हुये पारित किया है। ऐसी स्थिति मे आक्षेपित निर्णय आधार सहित पारित किया जाना प्रकट नही होता है। अतः सहज न्याय के दृष्ट्रिगत उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 26.8.2020 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय मे विवेचित उपर्युक्त तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर विचार कर पुनः आधार सहित विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 3.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा